पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.1697
दिनांक- 17.07.2025

जोन - मध्य / थाना आलमबाग

- **थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा अवैध गाँजा की बिक्री करने वाली 01 शातिर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद।**

कार्यवाही-

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा नाजायज गाँजा की बिक्री करने वाली अभियुक्ता पिंकी पत्नी शिवम उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी झोपड़पट्टी श्रमविहार नगर नियर रेलवे स्टेडियम मवैया थाना आलमबाग लखनऊ को दिनांक 17.07.25 को कैब वे कट थाना आलमबाग लखनऊ से मय 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना आलमबाग पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 133/2025 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा क्षेत्र में अवैध गाँजा बिक्री की सूचना जरिए मुखबिर खास से मिलने पर थाना आलमबाग पुलिस द्वारा अवैध गाँजा की बिक्री करने वाली अभियुक्ता पिंकी पत्नी शिवम उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी झोपड़पट्टी श्रमविहार नगर नियर रेलवे स्टेडियम मवैया थाना आलमबाग लखनऊ को दिनांक 17.07.2025 को कैब-वे कट पुल के पास थाना आलमबाग लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका –

अभियुक्ता द्वारा चौकी क्षेत्र मवैया व आस पास थाना क्षेत्र में घूमफिर कर अवैध गाँजा की बिक्री कर पैसे कमाना।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. पिंकी पत्नी शिवम निवासी झोपड़पट्टी श्रमविहार नगर नियर रेलवे स्टेडियम मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र लगभग 30 वर्ष

अभियुक्ता के कब्जे से बरामदगीः-

- कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 शिव प्रकाश सिंह थाना आलमबाग लखनऊ
2. का0 सौरभ कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
3. म0आ0 अमिता पाल थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1698

दिनांक -17.07.2025

थाना चौक / जोन पश्चिमी

थाना चौक पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले 04 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.07.2025 को समय रात्रि 11.00 बजे यूनाईटेड हास्पिटल के सामने थाना चौक लखनऊ दो पक्षों में मारपीट हो रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था।

इस सूचना पर तत्काल थाना चौक पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर **प्रथम पक्ष** के 1. सुमित त्रिवेदी उर्फ लवलेश त्रिवेदी पुत्र नरेश त्रिवेदी निवासी ग्राम पलौली थाना कछौना जनपद हरदोई उम्र करीब 27 वर्ष तथा **द्वितीय पक्ष** के 1. रिजवान अहमद पुत्र इजहार उल्ला निवासी ग्राम पूरे ताज मोइद्दीन खुर्द थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष 2. तौहीद पुत्र असगर हुसैन निवासी मोहल्ला किला बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष 3. अभिषेक सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी तखतखेड़ा थाना सरेनी जनपद रायबरेली उम्र करीब 24 वर्ष को हिरासत में लिया गया तथा **हिरासत में लिये गये अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में किया गया है।**

घटना के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष द्वारा तहरीर देकर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 191(2)/115(2)/351/352(2) बीएनएस पंजीकृत कराया है जिसकी विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण–

1. सुमित त्रिवेदी उर्फ लवलेश त्रिवेदी पुत्र नरेश त्रिवेदी निवासी ग्राम पलौली थाना कछौना जनपद हरदोई उम्र करीब 27 वर्ष
2. रिजवान अहमद पुत्र इजहार उल्ला निवासी ग्राम पूरे ताज मोइद्दीन खुर्द थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष
3. तौहीद पुत्र असगर हुसैन निवासी मोहल्ला किला बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष
4. अभिषेक सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी तखतखेड़ा थाना सरेनी जनपद रायबरेली उम्र करीब 24 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 188/2025 धारा 191(2)/115(2)/351/352(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 बृजपाल सिंह, चौकी प्रभारी पाटानाला, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. हे0का0 संगम लाल, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 विनोद कुमार, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
5. का0 अजीत सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1694
दिनांक-17.07.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा निवेश के नाम पर पैसे लेने व फर्जी SOG बनकर पैसा हड़प लेने वाले गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी करते हुए , गैंग का खुलासा ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 30 अदद CHILDERN BANK की गड्डी 500-500 रु के नोट की साईज के व 8 अदद गड्डी जिनके ऊपर 500 रुपये का एक असली नोट लगा है व अन्य नोट CHILDERN BANK के व 30 हजार रुपये नगद 500-500 रु के कुल 60 नोट व एक अदद अवैध देशी तमांचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर बरामद हुआ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.07.2025 को वादी श्री राजकुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद यादव नि0 अस्थायी पता – जियामऊ 1090 चौराहा थाना गौतमपल्ली लखनऊ , स्थायी पता – ग्रा0 सम्हई मन्सूराबाद थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के प्रा0 पत्र बावत –प्रतिवादीगण द्वारा पैसा डबल करने के नाम पर वादी से रुपये लेकर धोखाधडी कर (स्वंय को पुलिस क्राइम ब्रांच बताकर) रुपये हड़प लेने के विषयक मु0अ0सं0- 300/2025 धारा-316(2)/318(4) बीएनएस बनाम 01. सिंह साहब मो0नं0 7607211847, 9648730405, 9695657209, 02. धरम व 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात, पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री आनन्द कुमार यादव को सुपुर्द हुई थी।

02- कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 17.7.2025 को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम उ0नि0 आनंद कुमार यादव उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया , उ0नि0 हेमन्त कुमार , उ0नि0 राजन केसरी ,कां0 अंकुर चौधरी , कां0 आकाश यादव व कां0 शुभम कुमार , कां0 बंटी कुमार द्वारा उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्तगण.1. विशाल कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम खुर्दई बाजार कटरा बक्काश थाना गोसाईंगज जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष 02. रामबहादुर पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम दुहरा पो0 बनिया बारी थाना खलिलाबाद जनपद संतकबीर नगर उम्र 46 वर्ष 03. रामप्रसाद पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी ग्राम हरदीडाली पोस्ट नौतनवा थाना सनौली जनपद महाराजगंज उम्र 34 वर्ष 04. अंजनी कुमार पुत्र जगदानन्द झा निवासी धुर्लख वार्ड नं0- 31 ताना मुशाफिल समस्तीपुर बिहार उम्र 40 वर्ष को विनीत खंड से आईआईएलएम रोड के पास समय 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तगणो उपरोक्त के कब्जे से बरामद कूटरचित पुलिस आईकार्ड से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)/319(2)/338/336(3) बीएनएस व अभियुक्त राम बहादुर उपरोक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचा बरामद होने पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी हुई। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1- . विशाल कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम खुर्दई बाजार कटरा बक्श थाना गोसाईंगज जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

02. रामबहादुर पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम दुहरा पो0 बनिया बारी थाना खलिलाबाद जनपद संतकबीर नगर

03. रामप्रसाद पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी ग्राम हरदीडाली पोस्ट नौतनवा थाना सनौली जनपद महाराजगंज उम्र 34 वर्ष

04. अंजनी कुमार पुत्र जगदानन्द झा निवासी धुर्लख वार्ड नं0- 31 ताना मुशाफिल समस्तीपुर बिहार उम्र 40 वर्ष

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी ....

1. विशाल कुमार उपरोक्त की जामा तलाशी से पहने हुए पेन्ट की बायी जेब से 500-500 रु के 12 नोट कुल 6000 /-रुपये बरामद हुआ।
2. रामबहादुर उपरोक्त की जामा तलाशी से पहने हुए पैंट की जेब से 500-500 रुपये के 20 नोट बरामद हुए तथा पैन्ट की पिछली तरफ घोसा एक अदद देशी तमांचा 315 बोर व एक एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ
3. रामप्रसाद उपरोक्त के पहने पेन्ट की अन्य जेब से 500-500 रुपये के कुल 18 नोट बरामद हुआ।
4. अंजनी कुमार उपरोक्त के पैन्ट की बायी जेब से 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5 हजार रुपये बरामद हुआ।

04- आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1- विशाल उपरोक्त मु0अ0स0 300/2025 धारा 316(2)/318(4)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. राम बहादुर उपरोक्त मु0अ0स0 300/2025 धारा 316(2)/318(4)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. राम प्रसाद उपरोक्त मु0अ0स0 300/2025 धारा 316(2)/318(4)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ
4. अंजनी कुमार मु0अ0स0 300/2025 धारा 316(2)/318(4)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ व मु0अ0सं0 0073/2025 धारा आयुध अधि0 3/4/25 व 310(4) /310(5) बीएनएस थाना रौनही जनपद अयोध्या
नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।-

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी थाना गोमतीनगर लखनऊ
2.उ0नि0 आनंद कुमार यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया थाना गोमतीनगर लखनऊ
4. उ0नि0 हेमन्त कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ
5.उ0नि0 राजन केसरी थाना गोमतीनगर लखनऊ
6. हे0का0 संदीप पाण्डेय सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
.7. हे0का0 अमित कुमार सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
8.का0 अजय यादव सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
9. का0 शिवानंद खरवार सर्विलांस टीम पूर्व जोन
10. का0 तरनजीत सिंह सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
11.का0 विमल चंद्र सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
12. कां0 अंकुर चौधरी थाना गोमतीनगर लखनऊ
13 कां0 आकाश यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ
14 कां0 शुभम कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ
15 .कां0 बंटी कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1696
दिनांक- 17.07.2025

जोन- मध्य / थाना- हजरतगंज

- **चोरी की घटना 12 घंटे के अन्दर 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के कुल 7,56,400/-रूपये बरामद।**
- **थाना हजरतगंज की सफलता।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान **पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) महोदय श्री अमित कुमार वर्मा** के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री आशीष श्रीवास्तव व अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्रीमती ममता रानी चौधरी** के कुशल निर्देशन एवं **सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज श्री विकास जायसवाल** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज **श्री विक्रम सिंह की** पुलिस टीम को महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0197/2025 धारा 306 / 317(2) बीएनएस में नामजद अभियुक्त नीरज चौरसिया पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी लालाबाग दुबग्गा लखनऊ मूल पता-बांगरमऊ उन्नाव को आज दिनांक 17.07.2025 को गिरफ्तार किया गिया तथा अभियुक्त की निशादेही पर रुपये 7,56,400/- बरामद किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

02-अपराध का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.07.2025 को वादी मुकदमा संदीप निवासी शालीमार ग्रैण्ड हजरतगंज लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि मेरे घर से मेरे नौकर जो कि मेरे यहां खाना बानाने का काम करता है **उसके द्वारा मेरे घर की अलमारी से 05 लाख रुपये चुरा लिए गये तथा तब मैनें उसकी तलाशी ली तो उसमें से 50,000/- रुपये बरामद हुए।** इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0197/2025 धारा 306/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सुल्तानगंज मधुकर सिंह द्वारा की जा रही है। अभियुक्त नीरज चौरसिया पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी लालाबाग दुबग्गा लखनऊ मूल पता- बांगरमऊ उन्नाव को आज दिनांक 17.07.2025 को गिरफ्तार किया गिया **अभियुक्त नीरज से गहनता पूछतांछ पर उसके निशादेही पर चोरी किये गये रुपये कुल 7,56400/- रुपये बरामद किये गये तथा चुराये गये और पैसों से जमीन खरीद ली।** अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा पहले से थोड़ा-थोड़ा रुपये चुराया जा रहा था। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

03-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर पर खाना बनाने का काम करता था। जिसके द्वारा वादी मुकदमा के अलमारी की चाबी चुराकर काफी समय से थोड़ा थोड़ा रुपये चोरी किया जा रहा था जिससे अभियुक्त द्वारा जमीन खरीदी गयी। अचानक बड़ी रकम गायब होने से अभियुक्त से पूछताछ करने पर व उसकी तलाशी लेने पर रुपये बरामद हुए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. **नीरज चौरसिया** पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी लालाबाग दुबग्गा लखनऊ मूल पता- बांगरमऊ उन्नाव

05-बरामदगी-

- 500 रुपये के 1378 नोट 6,89,000/- रुपये
- 200 रुपये के 202 नोट 40,400/- रुपये
- 100 रुपये के 270 नोट 27000/- रुपये

06-गिरफ्तार करने वाली टीम थाना हजरतगंज-

1. उ0नि0 मधुकर सिंह चौकी प्रभारी सुल्तानगंज
2. उ0नि0 शिवम पाण्डेय चौकी प्रभारी नरही, सुल्तानगंज
3. म0उ0निशा सिंह चौकी प्रभारी लीला
4. उ0नि0 राजेश सिंह परिहार
5. म0उ0नि0 शारदा सिंह
6. हे0का0 अनुराग यादव
7. का0 अनुराग त्रिवेदी
8. का0 रोशन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1699
दिनांक- 17.07.2025

जोन- मध्य / थाना- हजरतगंज

- **थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 17 जनपद लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू व नोटिस अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी सम्बन्धित वाद संख्या 332/12 अ0सं0 622/07 धारा 147/323/379/307/504 आईपीसी में 01. संजय अग्रवाल पुत्र स्व0 गोपाल दास अग्रवाल निवासी 645वी/152 अभिषेकपुरम जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम विस्तार लखनऊ उम्र 50 वर्ष को दिनांक 17.07.2025 को उसके पते 645वी/152 अभिषेकपुरम जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायलय में पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संजय अग्रवाल पुत्र स्व0 गोपाल दासअग्रवाल निवासी 645वी/152 अभिषेकपुरम जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम विस्तार लखनऊ उम्र 50 वर्ष

03-सम्बन्धित वाद-

1. वाद संख्या 332/12 अ0सं0 622/07 धारा 147/323/379/307/504 आईपीसी

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंकित बालियान, प्रभारी चौकी तुलसी, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ
2. उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ
3. का0 सुनील कुमार, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1702
दिनांक-17.07.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **चोरी केस: थाना सैरपुर की टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त पवन को किया गया गिरफ्तार।**
- **ग्राम पश्चिमगांव में तिलक समारोह से मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 32 NK 1229 स्पलेण्डर काले व लाल रंग की चोरी हो जाने पर वादी द्वारा थाना स्थानीय पर 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।**
- **अभियुक्त को दिनांक 17/07/2025 को मय मोटरसाईकिल वाहन संख्या UP 32 NK 1229 के साथ गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04/05/2025 को वादी द्वारा थाना सैरपुर पर सूचना दिया गया कि दिनांक 03/05/25 को उसके गाव के संदीप रावत का तिलक समारोह था जिसमें वह अपने भाई के संग गया था। वहां सौरभ रावत के साथ बहस बाजी हुई थी। उसकी मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 32 NK 1229 पार्किंग में खड़ी थी। उसके बाद खाना पीना खाकर निकले तो बाईक पार्किंग में नहीं थी चोरी हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुआ था। **प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम बाइस्तवा सौरभ रावत पंजीकृत** कर विवेचना उ0नि0 श्री ऋषभ कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। **विवेचना के क्रम में साक्ष्य के अभाव में बाइस्तवा सौरभ रावत की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचना अज्ञात चोर के विरूद्ध प्रचलित थी।** प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए माल मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 17/07/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर रैथा रोड से अभियुक्त 1. पवन पुत्र श्री राजेन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष नि0 सेक्टर 3 जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ हाल पता ग्राम मुत्तकीपुर प्रधान मैरिज लान के पीछे किराये का मकान थाना मडियाव लखनऊ को मय मोटरसाईकिल वाहन संख्या UP 32 NK 1229 के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0न्यायालय भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पवन पुत्र श्री राजेन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष नि0 सेक्टर 3 जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ हाल पता ग्राम मुत्तकीपुर प्रधान मैरिज लान के पीछे किराये का मकान थाना मडियाव लखनऊ

03-बरामदगी -

- मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 32 NK 1229 स्पलेण्डर काले रंग।

04-अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. उ0नि0 मोनू कुमार
2. उ0नि0 ऋषभ कुमार
3. का0 पंकज कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1700
दिनांक- 17.07.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.07.25 को वारण्टी जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 रामसरन यादव निवासी ग्राम अलीनगर मजरा माढरमऊ थाना सु0गो0सिटी लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 8653/2017 धारा 138 NI एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ जो काफी दिनो से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होकर काफी दिनो से फरार चल रहे थे ।

जिन्हे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के आधार पर उ0नि0 श्री रमेश कुमार पटेल द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 रामसरन यादव निवासी ग्राम अलीनगर मजरा माढरमऊ थाना सु0गो0सिटी लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष

03-सम्बन्धित वाद-

1. वाद सं0 8653/2017 धारा 138 NI एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.1701

दिनांक-17.07.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फरार चले रही वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा दिनांक 01.07.2025 को माननीय न्यायालय से निर्गत वसूली/ कुर्की वारन्ट व वाद सं0 1168/2022 अन्तर्गत धारा 125(3) डीपी एक्ट से सम्बन्धित वारन्टी / मफरुर विजय सोनकर पुत्र सुन्दर लाल निवासी मं0नं0 195/23 जगतनारायण रोड पोस्ट आफिस गोलागंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष को दिनांक 17.07.2025 को थाना स्थानीय से मा0 न्यायालय के द्वारा जारी कुर्की/ वसूली वारन्ट के आदेश के परिपेक्ष्य में गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वाद संख्या 1168/2022 धारा 125 (3) डीपी एक्ट मे लगातार फरार चल रहा था। जिसे मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे उपरोक्त वसूली वारंट के बारे मे सूचित किया गया तथा वारन्ट में अंकित धनराशि 2,68,000/ भरने हेतु कहा गया तो वह अपने आप को असक्षम बता रहा है अतः अभि0 उपरोक्त को कारण मा0न्या0 वसूली वारंट कक्ष सं0 8 के द्वारा निर्गत कुर्की और विक्रय द्वारा भरण पोषण संदाय करने मे असमर्थता पर मा0न्या0 के प्रस्तुत करने का कारण गिरफ्तारी बताते हुए थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा उसको अमीनाबाद से गिरफ्तार किया गया।

जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

02-गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का विवरण-

1. विजय सोनकर पुत्र सुन्दर लाल निवासी मं0नं0 195/23 जगतनारायण रोड पोस्ट आफिस गोलागंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष

03-पंजीकृत/ वाद अभियोग का विवरण:-

1. वाद सं0 1168/2022 अन्तर्गत धारा 125(3) डीपी एक्ट फैमली कोर्ट

04-गिरफ्तारी का स्थान-

अभियुक्त के कार्य स्थल अमीनाबाद से दिनांक 17.07.2025 को

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी हाता
3. हे0का0 लक्ष्मी निवासी तिवारी
4. का0 संतोष कुमार

कार्यालय साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, पिन-226010

ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0-1695

दिनांक-16/07/2025

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख की साइबर ठगी करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय, लखनऊ द्वारा रिकार्ड समय में सजा सुनाई गयी ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम, लखनऊ व अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रयास से प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2024 को डा0 सौम्या गुप्ता द्वारा सूचना दी गई कि जब वह ड्यूटी पर थीं, तब उन्हें एक अज्ञात कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वाले ने स्वयं को कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि उनके नाम पर जो कारगो बुक किया गया है, उसमें जाली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और 140 ग्राम MDM मिला है, जो अपराध की श्रेणी में आता है।

इसके बाद कॉल को एक अन्य व्यक्ति को यह कहकर ट्रांसफर किया गया कि वह CBI अधिकारी हैं और आगे बात करेंगे। उस व्यक्ति ने, जो स्वयं को CBI अधिकारी बता रहा था, वादिनी को डरा-धमकाकर 10 दिन तक डिजिटल गिरफ्तारी बताकर 85 लाख रुपये की ठगी कर ली।

कार्यवाही-

इस संबंध में पीडिता की लिखित सूचना पर थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में दिनाँक 01.05.2024 को **अपराध संख्या 59/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC एवं 66D आईटी एक्ट** के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

इस प्रकरण के **अनावरण एंव अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) के निर्देशन व पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव** के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।

प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव व उनकी टीम द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए सूचना तंत्र को सक्रिय कर, अभियुक्त को जिसने अपनी पहचान छुपाकर बैक में फर्जी फर्म का खाता खुलवाया व टेलीकांम कम्पनी से सिम लेकर अपराध कारित किया जिसे तकनीकि साक्ष्य व सर्विलान्स की मदद **से 05 दिवस के अन्दर दिनांक 05.05.2024 को मंदाकिनी अपार्टमेंट, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ से गिरफ्तार कर थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में दाखिल कर गहन विवेचना कर डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र दिनाँक 02.08.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया** गया तथा अभियुक्त के जमानत का पुरजोर विरोध कर जिला कारागार में निरुद्ध रखा गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे त्वरित व अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय में त्वरित ट्रायल कराते हुये बरामद माल का परीक्षण व गवाहो का बयान कराया गया |

बाद ट्रायल अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध रहते हुए **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने पर हर धारा में अलग अलग सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित करते हुये सजा सुनाई गई जो उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले के विरुद्ध पहली सजा है।**

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

साइबर अपराधी मोबाइल नंबर एवं आधार आईडी का दुरुपयोग कर नागरिकों को यह कहकर डराते हैं कि उनके नाम का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, MDMA या आतंकी फंडिंग जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में हुआ है। ये अपराधी स्वयं को CBI, पुलिस या प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर पीड़ित को "**डिजिटल गिरफ्तारी**" का डर दिखाते हैं।

पीड़ित को वीडियो कॉल (Skype या अन्य माध्यम) पर उपस्थित होकर पूछताछ का सामना करना पड़ता है, और डराकर उनसे मोटी रकम की ठगी की जाती है। ये रकम विभिन्न बैंक खातों व क्रेडिट कार्डों के माध्यम से **USDT में कन्वर्ट कर आपस में बाँट ली जाती है।**

माननीय विशेष न्यायालय CJM कस्टम, लखनऊ द्वारा दी गयी सजा-

दिनांक 16.07.2025 को माननीय विशेष CJM कस्टम न्यायालय, लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट में दोषसिद्ध किया गया जिसमें **धारा-419 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष का कारावास** व दो हजार रुपये के अर्थ दण्ड व **धारा 420 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष का कारावास** व तीन हजार रुपये के अर्थ दण्ड व **धारा-467 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष का कारावास** व पाँच हजार रुपये का अर्थदण्ड व **धारा-468 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष का कारावास** व तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा **धारा 471 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष का कारावास** व पाँच हजार रुपये का अर्थदण्ड व **धारा-66 डी आईटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष का कारावास** व पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

नाम : देवाशीष राय
पिता का नाम : अशोक राय
पता : ए-16, सुलभ आवास, सेक्टर-6, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ – 226010
स्थायी पता : ग्राम मसौना, पोस्ट आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ – 276124

गिरफ्तारी व ट्रायल में योगदान करने वाली टीम :

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
2. श्री अजय कुमार यादव अभियोजन अधिकारी लखनऊ ।
3. श्री मषिन्द्र चौहान अभियोजन अधिकारी लखनऊ।
4. मुख्य आरक्षी विवेक कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
5. आरक्षी धनीश कुमार साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
6. आरक्षी संजय कशौधन साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।